न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / 12 / 2026

राज.सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, कार्यालय जिला रसद अधिकारी भरतपुर ......प्रार्थी

बनाम

श्री राजेश/लच्छीराम, निवासी ग्राम नैथना, कठूमर जिला अलवर ....अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सपठित द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थित :–
1–पैरोकार सरकार रसद
2–अप्रार्थी स्वयं उपस्थित

दिनांक 22.05.2026

निर्णय

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए ईसी एक्ट पेश किया गया है। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 24.02.2026 को प्राप्त सूचना के आधार पर जिला रसद अधिकारी भरतपुर के निर्देशन में प्रवर्तन स्टॉफ प्रदीप होटल एण्ड फैमिली रेस्टोरेन्ट, झालाटाला तहसील वैर पर पहुँचे। मौके पर होटल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग रेग्यूलेटर व नली के माध्यम से भट्टी के रूप में व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था। घरेलू गैस सिलेण्डर से होटल पर सब्जी व रोटी बनाकर उपभोक्ताओं को बेचा जा रहा था। होटल पर पाये गये 04 घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध व्यवसायिक उपयोग के सम्बन्ध में अप्रार्थी द्वारा कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेन्डरों का व्यवसायिक दुरूपयोग द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण मौके पर जप्त 14.2 किग्रा भराव क्षमता के 04 घरेलू गैस सिलेण्डर, 01 रेग्यूलेटर मय नली व 01 भट्टी को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी0 को नोटिस धारा 6बी ई0सी0 एक्ट रजिस्टर्ड जारी किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित होकर जबाब पेश किया गया, जबाब शामिल मिसिल किया गया। पैरोकार रसद एवं प्रार्थी की बहस सुनी गई।

पैरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये जाहिर किया कि अप्रार्थी0 द्वारा 04 घरेलू गैस सिलेण्डर का बिना वैध दस्तावेजात के भण्डारण करना एवं इनका उपयोग वाणिज्यक गतिविधि करने के लिये पाया गया।

........2

जिला कलक्टर
भरतपुर

अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का उल्लंघन होने के कारण जप्त 04 घरेलू गैस सिलेण्डर, 01 रेग्यूलेटर मय नली व 01 भट्टी को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई।

अप्रार्थी ने अपने जबाब में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि विभागीय अधिकारियों द्वारा घटनास्थल पर उपस्थित व्यक्तियों से निष्पक्ष पूछताछ नहीं की गई तथा न ही किसी स्वतंत्र गवाह के समक्ष कथित बरामदगी एवं उपयोग सम्बन्धी तथ्य प्रमाणित किये गये। अप्रार्थी का यह भी कहना है कि होटल परिसर में व्यवसायिक उपयोग हेतु पृथक कॉमर्शियल गैस सिलेण्डर का उपयोग किया जाता है। घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग होटल व्यवसाय में नहीं किया जा रहा था। विभागीय प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोप पूर्णतः गलत एवं तथ्यहीन हैं। कथित रूप से जप्त चारों घरेलू गैस सिलेण्डर विभिन्न परिवारीजनों के वैध घरेलू उपभोग कनेक्शन से सम्बन्धित हैं। अप्रार्थी के जप्त घरेलू गैस सिलेण्डर मय अन्य जप्त सामग्री प्रार्थी को सुपुर्दगी में दिलाये जाने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब का अध्ययन किया। होटल में मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग व्यवसायिक कार्य में होना पाया गया है। जबकि घरेलू गैस सिलेण्डर घर की रसोई में होना चाहिये था। अप्रार्थी का यह कहना कि होटल पर मौजूद घरेलू गैस सिलेण्डर पहचान वाले व्यक्तियों /परिवारीजनों के हैं स्वीकार योग्य नहीं है। क्योंकि निरीक्षण दल द्वारा मौके पर उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष जप्ती की समस्त कार्यवाही की गई है एवं सभी गवाहान के उक्त कार्यवाही पर किये गये हस्ताक्षर इस बात को स्पष्ट करते हैं कि निरीक्षण दल की कार्यवाही सही है। उक्त फर्द मौका जप्ती कार्यवाही पर अप्रार्थी द्वारा अपने हस्ताक्षर भी किये गये हैं। अप्रार्थी ने उक्तानुसार निरीक्षण दल द्वारा की गई कार्यवाही पर तत्समय कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। इससे यह निर्विवाद है कि अप्रार्थी द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र में जिस प्रकार कथन किये गये हैं वे बाद की सोच के तहत हैं, जो स्वीकार योग्य नहीं हैं। अप्रार्थी, घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण करना एवं वाणिज्यक गतिविधी के लिये होटल में उपयोग करता पाया गया है। अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी खारिज किया जाता है साथ ही जप्त 04 घरेलू गैस सिलेण्डर, 01 रेग्यूलेटर मय नली व 01 भट्टी राजसात किया जाना उचित पाते हैं। अस्तु प्रार्थना पत्र धारा 6 ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाने योग्य रहता है।

.....3

जिला कलक्टर
प्रतापपुर

(3) प्रवर्तन अधिकारी रसद बनाम राजेश / लच्छीराम

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाता है। मोके पर जप्त 14.2 किग्रा भराव क्षमता के 04 घरेलू गैस सिलेण्डर, 01 रेग्यूलेटर मय नली व 01 भट्टी राजसात (Confiscate) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि जप्त कुल 04 घरेलू गैस सिलेण्डर सम्बन्धित कम्पनी में जमा करावें तथा खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग के पत्रांक 86 (23) खा0ले0 / 6 / 89 जयपुर दिनांक 20.10.2000 के परिप्रेक्ष्य में उक्त गैस कम्पनी / आयल कम्पनी गैस सिलेन्डर से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धन राशि कम्पनी द्वारा राजकोष में जमा कराई जावे। साथ ही जप्त 01 रेग्यूलेटर मय नली व 01 भट्टी आदि सामान का नियमानुसार निस्तारण किया जावे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भरतपुर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2026 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर